चित्रकूट-पुलिस

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में लोकसभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 अभियुक्तों के कब्जे से 30 क्वार्टर देशी व 37 लीटर कच्ची शराब बरामद की।

(i). उ0नि0 श्री राजीव कुमार सिंह थाना कोतवाली कर्वी तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त सुधीर निषाद पुत्र दिनेश निषाद निवासी डिलौरा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 19 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(ii). उ0नि0 श्री अजहर जमाल थाना भरतकूप तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त ओमप्रकाश पुत्र जौहरी निवासी रौली कल्याणपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को 18 लीटर कच्ची शराब व 30 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री अजीत कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी खण्डेहा श्री विनय विक्रम सिंह द्वारा मु0नं0 2376/2020 धारा 143,323,504,506 भादवि के वारण्टी अभियुक्त राजेन्द्र सिंह पुत्र चन्द्रभान निवासी पियरा मजरा खण्डेहा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने भोली-भाली जनता में भय आतंक फैलाकर गुण्डा-गर्दी करने वाले 04 अभियुक्तों के विरुद्ध गुण्डा तथा 34 अभियुक्तों के विरुद्ध मिनी गुण्डा की कार्यवाही की गयी।

(i).प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आशुतोष तिवारी द्वारा अभियुक्त 1.भारतलाल पुत्र राजनारायण 2. रामलखन पुत्र लालजी 3. लालजी पुत्र नत्थु निषाद निलवासीगण हरिशनपुर थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को विरुद्ध धारा 03 यूपी0 गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी।

(ii).थानाध्यक्ष मारकुण्डी श्री मनीष कुमार द्वारा अभियुक्त राहुल मिश्रा पुत्र शिवनारायण मिश्रा निवासी पयासी का पुरवा मजरा किहुनियां थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 03 यूपी0 गुण्डा एक्ट की कार्यवाही तथा अभियुक्त1.लाल कोल पुत्र बाबा जान कोल निवासी डोडामाफी 2. देवमुनि कोल पुत्र कोंदू कोल निवासी डोडामाफी 3.जगदीश कुशवाहा पुत्र भगवत प्रसाद निवासी इटवा डुडैला 4.भोले पुत्र भैयालाल निवासी टिकरिया 5.शिवकुमार कोल पुत्र रामसजीवन निवासी बगरहा मजरा इटवां डुडैला 6.सीताराम कल उर्फ बोदल पुत्र भैयालाल 7.रामप्रसाद पुत्र बोध कोल निवासी टिकरिया 8.गेंदालाल कोल पुत्र भूमिधर निवासी थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट के धारा 110जी सीआरपीसी कार्यवाही की गयी।

(iii). थानाध्यक्ष भरतकूप प्रवीण कुमार सिंह द्वारा अभियुक्त 1.रामप्रकाश 2.ओमप्रकाश पुत्रगण रामचंद्र 3.प्रेमचंद 4.रामचंद्र पुत्रगण लालू निवासीगण रसिन 5.अनिरुद्ध 6.निखिल पुत्रगण सीताशरण 7.कमाल 8.विमल पुत्रगण शारदा निवासीगण भैसोंधा 9.संतोष पुत्र लखन 10.लखन पुत्र रामदास 11.गया प्रसाद पुत्र लाखन निवासीगण रामपुरवा माफी भारतपुर 12.तुलसीदास पुत्र रामबहोरी 13.रामबहोरी पुत्र बूटी निवासीहगण भरथौल 14.जगमोहन यादव पुत्र रामसजीवन 15.गया प्रसाद पुत्र शिवपूजन 16.रामहित्र पुत्र रामआश्रय 17.बाला प्रसाद पुत्र गंगू प्रसाद 18. राजा भइया उर्फ प्रमोद पुत्र बदवा 19.छेतानी पुत्र रघुराज निवासीगण इटखहरी थाना 20. राजा भइया पुत्र दादूलाल निवासी करारी 21. दीपक पटेल उर्फ अवधेश पुत्र रामस्वरुप निवासीगण लोखरिया थाना भरतकूर जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 110 जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गई।

(iv) प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्रीमती रीता सिंह द्वारा अभियुक्त 1.रामभजन पुत्र अमीर निवासी गढ़चपा 2.सुनील पुत्र दद्दू निवासी रम्पुरिया मजरा गढ़चपा 3.सुनील उर्फ भोंडा पुत्र कोदू निवासी रम्पुरिया 4.जियालाल पुत्र खिलाड़ी निवासी नागर 5.शिवा पुत्र चुन्नू निवासी सेखापुर थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारारा 110 जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकार नगर श्री राजकमल के पर्वेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली कर्वी की पुलिस टीम द्वारा रजिस्ट्री कार्यालय में हुई चोरी एवं आगजनी के 01 और वांछित अभियुक्त को चोरी के लैपटोप के साथ गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 23/24.01.2024 की रात्रि में धुस मैदान स्थित रजिस्ट्री कार्यालय में अज्ञात चोरों ने चोरी करके कार्यालय में आग लगा दी थी, जिसके संबंध में सब-रजिस्ट्रार श्री राजेश सिंह की तहरीर पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 55/2024 धारा 457,380,436,427 भादवी बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना से सम्बन्धित 06 अन्य अभियुक्तों को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता तथा उनके हमराही द्वारा दिनाँक 05.05.2024 उपरोक्त मुकदमें की विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त आकाश यादव उर्फ रमनदीप पुत्र अलख निरंजन यादव निवासी पुरानी कोतवाली कर्वी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को चोरी के लैपटॉप के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

आकाश यादव उर्फ रमनदीप पुत्र अलख निरंजन यादव निवासी पुरानी कोतवाली कर्वी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट

बरामदगीः-

चोरी का लैपटॉप

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता थाना कोतवाली कर्वी

2.आरक्षी नीतू द्विवेदी

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में थानाध्यक्ष भरतकूप श्री प्रवीण कुमार सिंह के मार्गदर्शन में थाना भरतकूप पुलिस टीम ने खोये हुये मोबाइल को बरामद कर मोबाइल स्वामी के सुपुर्द किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 28.04.2024 को आवेदक श्री अरुण कुमार पुत्र रामसजीवन निवासी ग्राम हरसबपुर घाटमपुर कानपुर नगर द्वारा अपने मोबाइल खो जाने के सम्बन्ध में CEIR पोर्टल पर शिकायत की थी। थाना भरतकूप पुलिस को मोबाइल की लोकेश प्राप्त हुयी जिसमें थाना भरतकूप में नियुक्त आरक्षी सलीम खान द्वारा मौके पर जाकर मोबाइल को बरामद कर मोबाइल स्वामी श्री अरुण कुमार उपरोक्त के सुपुर्द किया गया। मोबाइल पाकर मोबाइल स्वामी को चेहरे की मुस्कान लौटी तथा पुलिस का सराहना करते हुये धन्यवाद दिया गया।

(6). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 05.05.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को

सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(7). नो-एण्ट्री सम्बन्धी आवश्यक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आगामी वैशाख मास अमावस्या मेला में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत शहर क्षेत्र में दिनांक 07.05.2024 प्रातः 05.30 बजे से 08.05.2024 की रात्रि 09.30 बजे तक भारी एवं मध्यम मालवाहनों (आपातकालीन एवं आवश्यक वस्तुओं के वाहनों को छोड़कर) का कर्वी नगर में प्रवेश एवं परिवहन/आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

दिनांक 08.05.2024 के पश्चात आम जनमानस को सुगम व सुरक्षित यातायात उपलब्ध कराये जाने एवं दुर्घटनाओं को रोकने हेतु कर्वी नगर में दिनांक 09.05.2024 से 30 दिवस तक या नवीन आदेश दिये जाने की तिथि, जो पूर्व हो, निम्नांकित विवरण के अनुसार भारी एवं मध्यम मालवाहनों (आपातकालीन एवं आवश्यक वस्तुओं के वाहनों को छोड़कर) का कर्वी नगर में प्रवेश एवं परिवहन/आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

क्र0सं0	स्थान प्रतिबंधित समय
1.	लोढ़वारा मोड, राजापुर मार्ग - प्रातः 05.30 बजे से रात्रि 09.30 बजे तक
2.	रेहुटिया (रेलवे क्रॉसिंग के पूर्व) प्रयागराज रोड - प्रातः 05.30 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक
3.	खोह (पुलिस लाईन तिराहा) मानिकपुर रोड -प्रातः 05.30 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक
4.	शेषनपुरवा मोड़ सोनेपुर, सतना रोड-प्रातः 05.30 बजे से रात्रि 10.30 बजे तक
5.	बेड़ी पुलिया (मत्यगजेन्द्रनाथ धर्मकांटा) बांदा रोड- प्रातः 05.30 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक
6.	निर्मोही अखाड़ा यूपी एमपी बार्डर से बेड़ी पुलिया तिराहा तक- प्रातः 05.30 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक

1. प्रातः 05.30 बजे नो इन्ट्री बैरियरों से प्रवेश किये हुए भारी माल वाहन प्रातः06.00 बजे तक प्रत्येक दशा में नो इन्ट्री क्षेत्र से बाहर निकल जायेगें।
2. निर्मोही अखाड़ा यूपी एमपी बार्डर से बेड़ी पुलिया तिराहा तक श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत नया नो इन्ट्री मार्ग घोषित किया गया है।
3. नगर में वैवाहिक / धार्मिक / त्यौहार / जुलूस / झांकी / शोभा यात्रा / राजनैतिक कार्यक्रमों आदि के दृष्टिगत नो इन्ट्री के समय में परिवर्तन किये जाने पर परिवर्तन की सूचना नो इन्ट्री बैरियर पर ही दी जायेगी